

कार्यालय अध्यक्ष-एवं-उप मण्डल दण्डाधिकारी, नलवाड एवं देवता मेला समिति, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ।

क्रमांक-उ0म0अ0(ना0) धर्मपुर/मेला/2026- 1708 — 11

दिनांक 10/03/2026

"निविदा सूचना"

नलवाड मेला-2026 जो दिनांक 04 अप्रैल, 2026 से 09 अप्रैल, 2026 तक मनाया जा रहा है उपरोक्त मेले के दौरान कालेज मैदान धर्मपुर व साईं भवन के साथ डोम (लगभग 1000 वर्ग मीटर), झूले (लगभग 1000 वर्ग मीटर) व लगभग 200 अस्थाई दुकानों हेतु खुली नीलामी/बोली दिनांक 19-03-2026 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। डोम, झूले व अस्थाई दुकानों की स्थापना मेला कमेटी द्वारा उपलब्ध करवाए गए नक्शा के अनुसार की जाएगी। अतः उपरोक्त कार्यों की बोली हेतु अनुभवी व्यक्तियों/ फर्मों से निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होने का आग्रह किया जाता है। टैंडर फार्म मु0 500/- (Non Refundable) के भुगतान पर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

नियम व शर्तें

1. बोलीदाता को धरोहर राशि मुबलिग 5,00,000/-रु0 (पांच लाख रु0) बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 19-03-2026 को प्रातः 10:30 बजे तक जमा करवाने होंगे तथा बोलीदाता को उनका GSTIN दस्तावेज, पैन, आधार कार्ड तथा पिछले तीन सालों का आयकर रिटर्नस जमा करवानी होगी। बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष (SDM) नलवाड एवं देवता मेला कमेटी के नाम देय होना चाहिए।
2. निविदा की निर्धारित आरक्षित राशि मुबलिग 8,00,000/- (आठ लाख रु0) होगी।
3. जिस भी बोलीदाता के पक्ष में बोली तय होगी उससे बसूल की गई धरोहर राशि कुल जमा होने वाली राशि में समायोजित की जाएगी तथा शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के पश्चात वापिस कर दी जाएगी।
4. जिसके पक्ष में बोली तय की गई है उस व्यक्ति/पार्टी को नीलामी की आधी राशि नीलामी वाले दिन ही सांय 5:00 बजे तक तथा शेष राशि दिनांक 01-04-2026 समय बाद दोपहर 2:00 बजे तक हर हाल में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा नीलामी रद्द करके धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा मैदान की नीलामी दूसरे नम्बर के बोलीदाता को की जाएगी तथा धरोहर राशि प्राप्त करने हेतु अन्तिम नीलामी देने वाले बोलीदाता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
5. यदि नीलामी देने वाला व्यक्ति/ पार्टी किसी कारणवश दोषी घोषित होता है तो वह व्यक्ति/ पार्टी पुनः होने वाली नीलामी में भाग नहीं ले सकता।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता आंबटित किये गये मैदान क्षेत्र के अन्दर कोई आपतिजनक दुकान स्थापित नहीं करेगा जिसमें गैम्बलिंग व अन्य असामाजिक गतिविधियों इत्यादि होनी प्रस्तावित हो । इस तरह का कोई मामला ध्यान में आया तो उस अवस्था में भी नीलामी प्राप्तकर्ता को नियमानुसार जुर्माना तय राशि में की गई बोली का 5 प्रतिशत किया जा सकता है तथा मेला मैदान आंबटन भी रद्द किया जा सकता है।
7. जिस व्यक्ति के नाम मेला मैदान का आंबटन होगा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि मेला मैदान क्षेत्र के अन्दर आम जनता को आने जाने तथा आग इत्यादि नियंत्रण करने बारे सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। इस बारे मैदान का नक्शा रास्ते सहित बनाया गया है जिसके हिसाब से उपरोक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को अस्वीकार या समय/ तिथि में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी नीलामी प्राप्तकर्ता को आंबटित किए गये मेला मैदान के क्षेत्र को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
9. केवल वही फर्म या बोलीदाता इस प्रक्रिया में भाग लें जिनका अपना GSTIN नम्बर होगा और बोलीदाता बोली से पहले उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
- 10- समस्त कर (GST) सम्बन्धित फर्म द्वारा ही भुगतान तथा GST से सम्बन्धित भुगतान की प्रतिलिपि इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।


अध्यक्ष (सू0डी0एम0),
नलवाड एवं देवता मेला कमेटी,
धर्मपुर, जिला मण्डी हि0 प्र0।

पृ0संख्या -उपरोक्त/2026- 1708- 11

दिनांक 10/03/2026

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है:-

1. तहसीलदार धर्मपुर तथा अधीक्षक, कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना0) धर्मपुर को भेजकर अनुरोध है कि दिनांक 19-03-2026 को इस कार्यालय में उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहें।
2. इस कार्यालय, तहसील कार्यालय धर्मपुर, सन्धोल, अधिकारी, नगर पंचायत धर्मपुर व उप तहसील कार्यालय टिहरा व मण्डप के सूचनापट पर व्यापक प्रचार हेतु प्रेषित है।
3. सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय सरकाघाट को भेजकर अपुरोध है कि नीलामी सूचना से सम्बन्धित समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
4. श्री अखिल गुप्ता JOA(IT) के लिए इस निविदा पत्र को मेला बैबसाईट www.dharampurmela.com पर upload करने हेतु प्रेषित है।


अध्यक्ष (एस0डी0एम0),
नलवाड एंवम देवता मेला कमेटी,
धर्मपुर, जिला मण्डी हि0 प्र0।